राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 18.03.2020

आदेश

राज्य में एक स्थान पर बडी संख्या में लोगों के एकत्र होने से COVID-19 के संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.03.2020 की निरन्तरता में COVID-19 के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, पशु हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बन्द रहेंगे।

साथ ही प्रदेश के सभी सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर 31 मार्च, 2020 तक तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

18/03/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राज.
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
12. निजी /रक्षित पत्रावली

18.3.2020
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव